राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

पीठासीन अधिकारी – सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर – 168 / 2021 GCMS No. 2021/456

1. अजय शर्मा
2. सुरेश शर्मा पुत्रान डुंगर
3. राहुल कुमार शर्मा पुत्र अशोक कुमार
4. प्रियंका शर्मा पुत्री अशोक कुमार
5. निलम शर्मा पत्नी अशोक कुमार समस्त जाति ब्राहमण निवासीगण पांथरोली तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0

..........वादीगण

बनाम

1. प्रभुदयाल पुत्र जगन्नाथ जाति ब्राहमण निवासी पांथरोली तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0 हाल आबाद आर.जेड–23बी / 6 गली नं0 12 इन्द्रा पार्क पालम कॉलोनी, नई दिल्ली
2. ज्योति शर्मा पत्नी शत्रुधन शर्मा जाति ब्राहमण निवासी पांथरोली तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बुहाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0

..........प्रतिवादीगण

दावा– घोषणात्मक

–: निर्णय :– दिनांक :– 28/3/23

वादीगण की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम पांथरोली तहसील बुहाना स्थित भूमि हाल खाता सं. 138 के ख.नं. 323 रकबा 1.52 है., ख. नं. 602 रकबा 0.29 है. किता 2 कुल रकबा 1.81 है. के खातेदार काश्तकार कमला पत्नी रामकुवार हिस्सा 1 / 3, ज्योति पत्नी शत्रुधन शर्मा हिस्सा 1 / 3, प्रभुदयाल पुत्र जगन्नाथ हिस्सा 1 / 3 समस्त जाति ब्राहमण संवत् 2075 से 2078 में दर्ज रिकार्ड है। कमला पत्नी रामकुवार का देहान्त हो चुका है जोकि नाऔलाद फौत हो चुकी है विवादित भूमि कमला देवी को अपने पति रामकुवार से प्राप्त हुई है। रामकुवार व श्रीमती कमला देवी नाऔलाद फौत हो चुके हैं स्व. रामकुवार व कमला के कोई संतान नहीं हुई। कमला स्व. रामकुवार की विवाहिता पत्नी थी कमला की मृत्यु के पश्चात् विवादित भूमि वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 के हिस्से बराबर–बराबर [illegible] भूमि में कमला के 1 / 3 हिस्से आया हुआ है। स्व. कमला के नाऔलाद फौत होने के बाद विवादित भूमि में कमला देवी के 1 / 3 हिस्से में से 1 / 2 हिस्सा वादीगण के हिस्से में व 1 / 2 प्रतिवादी सं. 1 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.06.23 12:50:13 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

हिस्से में विरासतन आधार पर आई है क्योंकि स्व. कमला का पति रामकुवार वादी सं. 1 व 2 का सगा चाचा व वादी सं. 3 व 4 के पिता का सगा चाचा है तथा प्रतिवादी सं. 1 का सगा भाई है इस आधार पर विवादित भूमि में कमला देवी के 1/3 हिस्से की खातेदारी में से 1/2 हिस्से में वादीगण व 1/2 हिस्से में प्रतिवादी सं. 1 के हिस्से में आई है तथा इसी अनुसार काबिज काश्त हैं। विवादित भूमि कमला की मृत्यु के बाद कमला के 1/3 हिस्से में से 1/2 वादीगण के हिस्से में वादीगण के 1/2 हिस्से में से 1/3 भूमि वादी सं. 1 व 1/3 भूमि वादी सं. 2 व 1/3 भूमि वादी सं. 3 लगा. 5 के हिस्से में आई है व इसी अनुसार काबिज काश्त है तथा 1/2 हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 के हिस्से में आई है व इसी अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित होने के अधिकारी है इसलिए यह वाद घोषणात्मक पेश है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि :–

(क) वाके ग्राम पांथरोली तहसील बुहाना स्थित भूमि हाल खाता सं. 138 के ख.नं. 323 रकबा 1.52 है., ख.नं. 602 रकबा 0.29 है. कुल किता 2 कुल रकबा 1.81 है. में से स्व. कमला देवी के सम्पूर्ण 1/3 हिस्से में से 1/2 अर्थात् सम्पूर्ण भूमि के 1/6 हिस्से का वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 को 1/3+1/6 कुल 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

(ख) उक्त 1/6 हिस्से में वादी सं. 1 को 1/3 व वादी सं. 2 को 1/3 अर्थात् सम्पूर्ण भूमि में से 1/18, 1/18 व वादी सं. 3 लगा. 5 को संयुक्त 1/3 अर्थात 1/18 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। प्रतिवादी सं. 2 की ओर से इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत कर वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया है और निवेदन किया है कि मुताबिक वाद पत्र वादीगण 1/6 हिस्से पर सामुहिक रूप से काबिज काश्त हैं।

प्रतिवादी सं. 1 व 3 बावजूद सम्यक् तामील अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादीगण की ओर से राजस्व दस्तावेजी साक्ष्य अभिलेख में नकल जमाबंदी संवत् 2075–2078 खाता सं. 138 (प्रदर्श–1), फोटो प्रति मृत्यु प्रमाण पत्र कमला देवी, अशोक शर्मा पेश किये तथा मौखिक साक्ष्य में शपथ पत्र अजय शर्मा (पी.डब्ल्यू.–1) भी पेश किया।

बहस विद्वान अधिवक्ता वादीगण सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात, वादपत्र के अभिवचनों का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। खातेदार कमला पत्नी रामकुवार हिस्सा 1/2 सा.देह खातेदार की नाऔलाद मृत्यु हो चुकी है। उक्त कमला के विधिक वारिश वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 है इसलिए उक्त मृतक खातेदार कमला पत्नी रामकुवार का [illegible] भूमि में हिस्सा 1/3 वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 में शामिल किया जाना उचित है। इस प्रकार [illegible] पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों व प्रतिवादी सं. 2 की ओर से प्रस्तुत [illegible] मुताबिक वाद वादीगण स्वीकार कर डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.06.23 12:50:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

आदेश

अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर ग्राम पांथरोली तहसील बुहाना स्थित भूमि हाल खाता सं. 138 में दर्ज खसरा नंबर 323, 602 कुल किता 2 कुल रकबा 1.81 है. में दर्ज खातेदार कमला पत्नी रामकुवार हिस्सा 1/3 की नाऔलाद मृत्यु हो चुकी है। इसलिए उक्त मृतक खातेदार कमला पत्नी रामकुवार का हिस्सा 1/3, वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 शामिल (Merge) कर उक्त वादग्रस्त भूमि में वादी सं. 1 को 1/6 हिस्से का, वादी सं. 2 को 1/6 हिस्से का, वादीगण सं. 3 लगा. 5 को संयुक्त रूप से 1/6 हिस्से का तथा प्रतिवादी सं. 1 को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड राजस्व दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है।रहन यदि कोई हो तो संबन्धित खातेदार/काश्तकार को मिलने वाले हिस्से/रकबे के विरूद्ध दर्ज किया जावे। उक्तानुसार अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर बुहाना

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनू (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 28/3/23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय की मुद्रा से मुद्राकिंत कर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर बुहाना

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनू (राज.)

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनू (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.06.23 12:50:13 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उप खण्ड अधिकारी,बुहाना जिलाझुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.
राजस्व वाद स. 168/2021 जीसीएमएस नम्बर :– 2021/456
निर्णय दिनांक :– 28/3/23

अजय शर्मा **बनाम** प्रभुदयाल आदि

दावा घोषणात्मक

वादी की ओर से श्री विजयपाल यादव एडवोकेट की उपस्थिति में तथा प्रतिवादी संख्या 2 **श्री मनोज टंडन एडवोकेट** की उपस्थिति में शेष प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 28/3/23 को **श्री सुनील कुमार चौहान उपखण्ड अधिकारी, बुहाना** के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता हैं और अंतिम डिक्री दी जाती हैं कि –

" अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर ग्राम पांथरोली तहसील बुहाना स्थित भूमि हाल खाता सं. 138 में दर्ज खसरा नंबर 323, 602 कुल किता 2 कुल रकबा 1.81 है. में दर्ज खातेदार कमला पत्नी रामकुवार हिस्सा 1/3 की नाऔलाद मृत्यु हो चुकी है। इसलिए उक्त मृतक खातेदार कमला पत्नी रामकुवार का हिस्सा 1/3, वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 शामिल (Merge) कर उक्त वादग्रस्त भूमि में वादी सं. 1 को 1/6 हिस्से का, वादी सं. 2 को 1/6 हिस्से का, वादीगण सं. 3 लगा. 5 को संयुक्त रूप से 1/6 हिस्से का तथा प्रतिवादी सं. 1 को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड राजस्व दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है।रहन यदि कोई हो तो संबन्धित खातेदार/काश्तकार को मिलने वाले हिस्से/रकबे के विरूद्ध दर्ज किया जावे। "

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 28/3/23 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर, बुहाना

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना, जिला झुंझुनू (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.06.23 12:50:13 IST
Reason: SelfAttested